उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

19 जुलाई, 2022 ई0

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सम्बन्धित मामले)
(प्रथम संशोधन) विनियम, 2022

सं. एफ-9(26)(i)/आरजी/यूईआरसी/2022/510: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के अधीन प्रदत शक्तियों तथा इस निमित्त सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सम्बन्धित मामले) विनियम, 2017 (मूल विनियम) में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सम्बन्धित मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 होगा।

(2) ये विनियम गज़ट में इनके अधिसूचित होने के दिनांक से 6 माह पश्चात प्रवृत होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 2 की परिभाषा (d) के पश्चात निम्नानुसार नयी परिभाषा जोड़ी जाएगी: कॉरिडोर (कॉरिडोरों) के पार बाजार को विभाजित करते हुए विशेष क्षेत्र (क्षेत्रों) में सभी वैध क्रय और विक्रय बोलियों पर विचार करने के बाद पावर एक्सचेंज पर स्थापित समय ब्लॉक विद्युत कांट्रैक्ट की कीमत है।"

(2) मूल विनियम के विनियम 2 की परिभाषा (i) के पश्चात निम्नानुसार नयी परिभाषायें जोड़ी जाएंगी:

"(ia) **"दैनिक बेस डीएसएम प्रभार"** से विनियम 8 के अधीन अतिरिक्त प्रभारों को छोड़कर प्रतिदिन देय या प्राप्य, यथास्थिति, में सभी टाइम ब्लॉकों के लिए विचलनों के लिए प्रभारों का योग अभिप्रेत है।"

"(ib) **"डे अहेड मार्केट (डीएएम)"** से वह बाजार अभिप्रेत है जहां विद्युत की भौतिक डिलीवरी संव्यवहार के दिनांक (T) के अगले दिन (T+1) को घटित होती है और यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2010 (समय-समय पर संशोधित), आयोग द्वारा यथा अनुमोदित पावर एक्सचेंजों की नियमावली और उप-नियमें द्वारा अधिशासित है।"

(3) मूल विनियम के विनियम 2 की परिभाषा (u) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(u) **"टाइम ब्लॉक"** से 15 मिनट की वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए विशिष्ट ऊर्जा मीटर की सहायता से विनिर्दिष्ट विद्युत मानदंडों और मात्राओं को रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें प्रथम टाइम ब्लॉक 00.00 बजे से प्रारम्भ होता है, तथा यह इस संबंध में केविनिआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के उपबंधों और इसके संशोधनों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा इसकी समीक्षा के अधीन है।"

3. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 5 के उप-विनियम (1) में सारिणी-1 को निम्नानुसार नोट के साथ नीचे दी गयी सारिणी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

सारिणी-1: विचलन हेतु फ्रिक्वेन्सी आधारित प्रभार

<table>
<tr><th colspan="2">टाइम ब्लॉक की औसत फ्रिक्वेन्सी (Hz)</th><th rowspan="2">विचलन के लिए प्रभार (पैसे/किलोवाट घण्टा)</th></tr>
<tr><th>कम</th><th>कम नहीं</th></tr>
<tr><td></td><td>50.05</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>50.05</td><td>50.04</td><td rowspan="4">50.05 Hz से कम नहीं पर और 50.00 Hz पर चयनित कीमत को शामिल करते हुए अवधारित प्रवणता जैसा कि इस विनियम के नीचे नोट में दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>50.04</td><td>50.03</td></tr>
<tr><td>50.03</td><td>50.02</td></tr>
<tr><td>50.02</td><td>50.01</td></tr>
<tr><td>50.01</td><td>50.00</td><td>पावर एक्सचेंज के डे अहेड मार्केट खंड में पता लगाई गई प्रतिदिन (सामान्य) औसत एरिया क्लियरिंग कीमत*</td></tr>
</table>

50.00	49.99	50.00 एचजेड से कम नहीं पर पता लगाई कीमत और 49.85 एचजेड से कम पर कीमत को शामिल करते हुए अवधारित प्रवणता जैसा कि इस विनियम के नीचे नोट में दिया गया है।
49.99	49.98	
49.98	49.97	
49.97	49.96	
49.96	49.95	
49.95	49.94	
49.94	49.93	
49.93	49.92	
49.92	49.91	
49.91	49.90	
49.90	49.89	
49.89	49.88	
49.88	49.87	
49.87	49.86	
49.86	49.85	
49.85		800.00

*प्रतिदिन सामान्य औसत क्षेत्र क्लियरिंग कीमत, पैसा/kWh में (एसीपी) एन2 - उत्तरी क्षेत्र हेतु पावर एक्सचेंज के डे अहेड मार्केट खंड में पाये गए रूप में, अपनी वैबसाइट पर दैनिक डीएसएम दरें घोषित किए जाने हेतु एनएलडीसी द्वारा विचार किए गए अनुसार होगी।

नोटः-

i. विचलन व्यवस्थापन तंत्र दर वेक्टर 50 Hz पर (प्रतिदिन सामान्य औसत एपीसी), 49.85 Hz की फ्रिक्वेंसी (8 रुपये प्रति यूनिट) और प्रतिदिन आधार पर 50.05 एचजेड (जीरो) पर चयनित कीमत प्वाइंट शामिल करते हुए अवधारित गतिशील प्रवणता होगी।

ii. 50.00 Hz पर पावर एक्सचेंज के डीएएम खण्ड में पता लगाई गई औसत प्रतिदिन एसीपी के लिए लागू अधिकतम सीमा 800 पैसे/किलोवाट घण्टा होगी।

iii. प्रत्येक 0.01 Hz कदम के लिए विचलन के लिए प्रभार "50.05 Hz से कम नहीं" पर और 50.05-50.00 Hz की फ्रिक्वेंसी रेंज मे (50.00 Hz में चयनित कीमत) और "50.00 मे चयनित कीमत" शामिल करते हुए अवधारित प्रवणता के लिए और "49.85 एचजेड से कम" तक "50 Hz से कम" फ्रिक्वेंसी रेंज में "49.85 Hz से कम" पर कीमत को शामिल करते हुए अवधारित प्रवणता के समतुल्य होंगे।

iv. प्रतिदिन आधार पर ऊर्जा शर्तों में 80 प्रतिशत या अधिक के बाज़ार शेयर वाले पावर एक्सचेंज के प्रतिदिन सामान्य औसत एसीपी डीएसएम कीमत वेक्टर में लिंकिंग के लिए विचारार्थ लिया जाएगा। यदि 80 प्रतिशत या अधिक के बाजार शेयर वाला कोई एकमात्र पावर एक्सचेंज नहीं है तो भारित औसत डेअहेड कीमत डीएसएम कीमत में लिंकिंग के लिए प्रयुक्त की जाएगी।

v. डेअहेड बाजार में (किसी पारेषण प्रभार और पारेषण हानियों के अतिरिक्त) में प्रतिदिन सामान्य औसत एरिया क्लियरिंग कीमत 50 Hz में बाजार संबद्ध डीएसएम कीमत के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त की जाएगीः

परंतु एक वर्ष के अंदर उक्त तंत्र की समीक्षा पर आधारित या इस प्रकार की समय अवधि में जैसा आयोग द्वारा निर्णय किया जाता है, यदि आयोग संतुष्ट है कि बाजार स्थितियां बाजार संबद्ध डीएसएम के लिए आधार की अनुमति देती है तो कीमत डेअहेड बाजार में समय ब्लॉकवार एसीपी द्वारा या जब वास्तविक समय बाजार इस प्रकार की आवधिकता की एसीपी या एसीपी द्वारा आरंभ किया जाता है, जिसे आयोग द्वारा उचित समझा जाता है।

vi. दिए गए दिन पर कोई व्यापार न होने के कारण प्रतिदिन सामान्य औसत एसीपी की गैर उपलब्धता के मामले में अंतिम उपलब्ध दिवस के प्रतिदिन सामान्य औसत एसीपी डीएसएम.प्रभार को अवधारित करने के लिए विचार किया जाए।

vii. विचलन कीमत नजदीकी दो डेसीमल स्थानों पर पूरी की जाएगी।

viii. उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट डीएसएम कीमत वेक्टर के लिए दृष्टांत संलग्नक-1 के रूप में दिया गया है।

ix. राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रतिदिन डीएसम दरों को घोषित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और इसकी वेबसाइट पर सभी संगत सूचना प्रदर्शित करेगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 5 के उप-विनियम (1) में "RLNG रु. 8.24/kWh सैंट आउट" शब्दों को "RLNG रु. 8.00/kWh सैंट आउट" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 7 के उप-विनियम (1) में "49.70 Hz और अधिक तथा 50.10 Hz से कम" शब्दों को "49.85 Hz और अधिक तथा 50.05 Hz से कम"

(2) मूल विनियम के विनियम 7 के उप-विनियम (1) प्रथम परंतुक में "49.70 Hz से नीचे" शब्दों को "49.85 Hz से नीचे" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "50.10 Hz से ऊपर" शब्दों को "50.05 Hz से ऊपर" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) मूल विनियम के विनियम 7 के उप-विनियम (2) में "49.70 Hz और इसके ऊपर तथा 50.10 Hz से कम" शब्दों को "49.85 Hz और इसके ऊपर तथा 50.05 Hz से कम" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) मूल विनियम के विनियम 7 के उप-विनियम (2) प्रथम परंतुक में "49.70 Hz से नीचे" शब्दों को "49.85 Hz से नीचे" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "50.10 Hz और इससे ऊपर" शब्दों को "50.05 Hz और इससे ऊपर" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(5) मूल विनियम के विनियम 7 के उप-विनियम (2) तृतीय परंतुक में "49.70 Hz और इससे अधिक" शब्दों को "49.85 Hz और इससे अधिक" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. मूल विनियमों के विनियम 8 का संशोधन

(1) मूल विनियम 8 के उप-विनियम (1) में "49.70 Hz और इससे अधिक" शब्दों को " 49.85 Hz और इससे अधिक" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) मूल विनियम 8 के उप-विनियम (2) में "50.10 Hz औरअधिक" शब्दों को "50.05 Hz और अधिक" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) मूल विनियम 8 के उप-विनियम (4) में "49.70 Hz से नीचे होने पर विद्युत की अतिनिकासी या कम इन्जेक्शन के लिये विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार इस विनियम के उप-विनियम (6) में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार लागू होंगे और यह "49.70 Hz से नीचे "की ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप 824.04 पैसे/ kWh के विचलन हेतु प्रभार के 100% के बराबर होगा" शब्दों को "49.85 Hz से नीचे होने पर विद्युत की अतिनिकासी या कम इन्जेक्शन के लिये विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार इस विनियम के उप-विनियम (6) में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार लागू होंगे और यह "49.85 Hz से नीचे "की ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप 800.00 पैसे/kWh के विचलन हेतु प्रभार के 100% के बराबर होगा" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) मूल विनियम 8 के उप-विनियम (5) में "49.70 Hz और अधिक" शब्दों को "49.85 Hz और अधिक" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(5) मूल विनियम 8 के उप-विनियम (6) में "49.70 Hz" से कम शब्दों को "49.85 Hz" से कम शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(6) मूल विनियम 8 के उप-विनियम (6) के परंतुक में "49.70 Hz से नीचे" शब्दों को "49.85 Hz से नीचे" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(7) मूल विनियम 8 के उप-विनियम (7) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"राज्य की किसी इकाई (क्रेता अथवा विक्रेता) द्वारा एक दिशा में (सकारात्मक या नकारात्मक) में अनुसूची से सतत विचलन की स्थिति में, इस प्रकार की इकाई निम्नानुसार यथाविनिर्दिष्ट रीति से इसकी स्थिति में संशुद्धि करेगी:

"यदि 6 टाइम ब्लॉक्स तक एक ही दिशा में अनुसूची से निरंतर विचलन (सकारात्मक या नकारात्मक) जारी रहता है तो राज्य की इकाई (क्रेता अथवा विक्रेता) अधिक्तम सातवें टाइम ब्लॉक तक अनुसूचित परिवर्तन से इसके विचलन को चिन्हित कर या कम से कम एक बार अपनी अनुसूची के संदर्भ में +/-2% की रेंज में कायम रह कर अपनी स्थिति को सुधारेगी।

परंतु इस अधिनियम के अधीन अपेक्षाओं के उल्लंघन पर नीचे दी गई सारिणी में यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार देने होंगे:

एक दिवस में उल्लंघनों की संख्या	प्रतिदेय अतिरिक्त प्रभार देय
प्रथम से पांचवा उल्लंघन	प्रत्येक उल्लंघन के लिए, दैनिक बेस डीएसएम प्रभार प्रतिदेय या प्राप्य के 3 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त प्रभार
छठे से दसवां उल्लंघन	प्रत्येक उल्लंघन के लिए, दैनिक बेस डीएसएम प्रभार प्रतिदेय या प्राप्य के 5 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त प्रभार
ग्याहरवें से आगे उल्लंघन	प्रत्येक उल्लंघन के लिए, दैनिक बेस डीएसएम प्रभार प्रतिदेय या प्राप्य के 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त प्रभार

परंतु आगे यह कि इस उप-विनियम के अधीन चिन्ह परिवर्तन उल्लंघनों की संख्या की गणना प्रत्येक दिवस हेतु 00.00 बजे से पुन: आरंभ की जाएगी ।

परंतु यह भी कि इस उप-विनियम के अधीन विनिर्दिष्ट चिन्ह परिवर्तन अपेक्षा के पालन में विफलता हेतु अतिरिक्त प्रभार का भुगतान निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

a. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक जो राज्य की इकाईयाँ हैं।

b. बिना पौंडेज की रन ऑफ रिवर परियोजनाएं।

c. परीक्षण और कमीशनिंग कार्यों के दौरान किसी यूनिट के CoD से पहले उत्पादक स्टेशन द्वारा ऊर्जा का कोई इन्फर्म अंत:क्षेपण।

d. किसी यूनिट की स्टार्ट-अप गतिविधियों के लिए उत्पादक केन्द्र द्वारा विद्युत का कोई आहरण।

निर्दशन:

यदि टाईम ब्लॉक टी-1 से टी-7 तक सतत विचलन वाली राज्य की किसी ईकाई को इसके विचलन के चिहन को परिवर्तित करते हुए (सकारात्मक से नकारात्मक या नकारात्मक से समारात्मक जैसी भी स्थिति हो) या तो इसकी स्थिति में संशुद्धि करनी होगी या टाईम ब्लॉक टी-7 के अंत तक इसकी अनुसूची के संदर्भ में +/-2% की रेंज में वापस आना चाहिए। यदि, इस प्रकार के चिहन परिवर्तन नहीं होते या टाईम ब्लॉक टी-7 के

अंत तक उक्त रेंज में वापस नहीं आते परंतु स्थिति के इस प्रकार के शुद्धि टाईम ब्लॉक टी-8 से टाईम ब्लॉक टी-12 तक होते हैं, तक अतिरिक्त प्रभार एक उल्लंघन तक समतुल्य पर उद्गृहीत होगा। इसके अतिरिक्त, यदि चिह्न परिवर्तन नहीं होता या टी-13 के अंत तक यथोक्त रेंज में वापस नहीं आता परंतु स्थिति की शुद्धता टाईम ब्लॉक टी-14 से टाईम ब्लॉक टी-18 तक होता है, तो अतिरिक्त प्रभार दो उल्लंघनों के समतुल्य व इसी प्रकार आगे उद्गृहीत होगा।

6. मूल विनियम के संलग्नक-I (क्रेता/विक्रेता द्वारा अतिनिकासी/कम इन्जेक्शन हेतु विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमाओं को पार करने हेतु प्रत्येक क्रेता/विक्रेता के लिये विचलन के प्रभारों और विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों की संगणना हेतु कार्य विधियां) का संशोधन:

(1) मूल विनियम के संलग्नक-I के पैरा-1 में "49.70 Hz या इससे अधिक" शब्दों को "49.85 Hz या इससे अधिक" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) मूल विनियंम के संलग्नक-I के पैरा-2 में "49.70 Hz से कम" शब्दों को "49.85 Hz से कम" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) मूल विनियम के संलग्नक -I के पैरा-2 में "824.04 पैसे / kWh" शब्दों को "800 पैसे / kWh" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. मूल विनियम के संलग्नक-II (क्रेता/विक्रेता द्वारा कम निकासी/अति-इन्जेक्शन के लिये विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमाएं पार करने हेतु प्रत्येक क्रेता/विक्रेता के लिये विचलन के प्रभारों और विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों की संगणना हेतु कार्यविधियां) का संशोधन:

(1) मूल विनियम के संलग्नक-II के पैरा-C में "50.10 Hz या इससे अधिक" शब्दों को "50.05 Hz या इससे अधिक" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

संलग्नक-I

इन विनियमों के विनियम 3 (1) के अधीन सारिणी में विनिर्दिष्ट डीएसएम कीमत वेक्टर का दृष्टांत :

टाइम ब्लॉक की औसत फ्रिक्वेन्सी (Hz)		विचलन हेतु प्रभार (पैसे/kWh)
से निम्न	से अनिम्न	
	50.05	0.00
50.05	50.04	1xP/5
50.04	50.03	2xP/5
50.03	50.02	3xP/5
50.02	50.01	4xP/5
50.01	50.00	P
50.00	49.99	50.00+15xP/16
49.99	49.98	100.00+14xP/16
49.98	49.97	150.00+13xP/16
49.97	49.96	200.00+12xP/16
49.96	49.95	250.0010xP/16
49.95	49.94	300.00+10xP/16
49.94	49.93	350.00+9xP/16
49.93	49.92	400.00+8xP/16
49.92	49.91	450.00+7xP/16
49.91	49.90	500.00+6xP/16
49.90	49.89	550.00+5xP/16
49.89	49.88	600.00+4xP/16
49.88	49.87	650.00+3xP/16
49.87	49.86	700.00+2xP/16
49.86	49.85	750.00+1xP/16
49.85		50.00+15xP/16

जहां P = N2-उत्तरी क्षेत्र हेतु पावर एक्सचेंज के डे अहेड मार्केट खंड में ज्ञात दैनिक औसत एरिया क्लियरिंग कीमत पैसा प्रति kWh में एनएलडीसी द्वारा अपनी वैबसाइट पर दैनिक डीएसएम दरें घोषित करने के लिए विचारित रूप में है।

आयोग के आदेश से,

नीरज सती

सचिव

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 हिन्दी गजट/560–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।